80

संख्या– — /X–2–2014–12(36)2012

प्रेषक,

मनोज चन्द्रन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 देहरादून दिनांकः 29 नवम्बर, 2014

विषयः– वन विभाग के अनुदान सं–27 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 की आयोजनागत पक्ष की राज्य सैक्टर योजना "2406–01–800–1800– गूजर पुनर्वास योजना" के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि शासनादेश सं0 2757/X–2–2014–12(36)/2012, दि0 18.11.2014 द्वारा शाहमंसूर में प्रस्तावित गूजर विस्थापन क्षेत्र में लैंटेना उन्मूलन, सर्वेक्षण, सीमांकन, सीमा स्तम्भों की स्थापना व प्लाटिंग कार्य हेतु मात्र 26.14 लाख की धनराशि अवमुक्त की है। उपरोक्त पत्र के कम में अवगत कराया है कि उपरोक्त कार्य भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव स्वीकृत न होने के कारण संभव नहीं हो पायेगा।

Forest conservation act, 1980 की धारा 2 के Explanation (b) के अनुसार "non-forest purpose" does not include any work relating or ancillary to conservation, development and management of forests and wildlife, namely, the establishment check-posts, fire lines, wireless communications and construction of fencing, bridges and culverts, dams, water holes, trench marks, boundary marks, pipelines or other purposes."

4– प्रस्तावित गूजर विस्थापन के अन्तर्गत राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, में छितरे बितरे रूप में बसे गूजर परिवारों की गतिविधियों से चिलावाली राजि के सम्पूर्ण क्षेत्र में वनों में भैंस चरान व लोपिंग व अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण दुष्प्रभाव को रोकने तथा वन गूजरों को मुख्यधारा में लाने हेतु एक सीमित क्षेत्र में consolidate कर विस्थापन प्रस्तावित है ताकि एक वृहद वन क्षेत्र व उनमें बसे वन्यजीवों की सुरक्षा की जा सके। इस प्रकार यह विस्थापन कार्य "work relating to conservation, development and management of forests and wildlife" होने के कारण यह कार्य non-forestry activity की परिभाषा में नहीं आता है। अतः FC Act के तहत वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृत कराने का औचित्य स्पष्ट नहीं हो रहा है।

5– सबलगढ़ पुनर्वास क्षेत्र में सी0–सी0 रोड़, सिंचाई गूल, मार्ग निर्माण आदि कार्य के सम्बन्ध में पत्र दि0 27.11.2014 द्वारा निर्देश दिये जा चुके है।

6– गढ़वाल मण्डल में बसे गूजरों के चिन्हीकरण व सत्यापन कार्यों हेतु त्रिपक्षीय संस्था का चयन किया है जिनको धनराशि गढ़वाल मण्डल के किसी वनाधिकारी के माध्यम से दिये जाने पर पूर्वाग्रह ग्रसित न हो इसलिये इसे अनुश्रवण एवं मूल्यांकन को आवंटित करने का निर्देश दिया है।

यदि मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के पास सी0सी0एल0 कोड न हो तो 24–वृहद निर्माण के अन्तर्गत कोषगार (Treasury) के माध्यम से धनराशि आहरण की जा सकती है। लोक तकनीकी केन्द्र द्वारा अपने पत्र दि0 25.11.2014 (संलग्न) द्वारा सूचित किया है कि उनकी संस्था अंग्रेजी नाम "Centre for People's Technology" के नाम से पंजीकृत है तथा इस संस्था का बैंक खाता इसी नाम से है।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि मुख्य वन संरक्षक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) को आवंटित कर कोषागार के माध्यम से धनराशि "Centre for People's Technology" संस्था को अवमुक्त कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

संख्याः 4005 / X–2–2014 / 12(36)2012, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. गार्ड फाईल। / NIC

6-12-014

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव